

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल शिफ्ट की स्केल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 23 4 दिनांक 01/04/2019

प्रार्थी ~~बेनाम शर्मा~~ 2/0 श्री विक्रम लाल शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.N-13 सेक्टर D

धारा 194 (7) (ख) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु नगर कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये Rs 38331- रुपये जमा है

जरिये रसीद संख्या 9069/3709

दिनांक 1/04/2019 को जमा करा दी है।

ysf
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

g+1

[Handwritten signature]
1. 4. 19